मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश

पंचम तल, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ – 226010

संख्या 4136   दिनाँक 12/2/16

/अध–2(5)58/चिकि0स्था0/टीसी/2015–16

सेवा में,

उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग–1,
लखनऊ।

विषयः– **कारागार पर बन्दियों के इलाज हेतु सेवानिवृत्त चिकित्सकों की तैनाती किये जाने विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–के0एम0–16/22–1–2016–20/2016, दिनांक 01.02.2016 का सन्दर्भ गहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कारागार पर बन्दियों के इलाज में आ रही चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिये फिक्स वेतन पर सेवानिवृत्त चिकित्सकों से कार्य लिये जाने के सम्बन्ध में सुविचारित स्पष्ट आख्या सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माननीय कारागार मंत्री जी के पत्र दिनांक 12.01.2016, जो प्रमुख सचिव, कारागार, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित है, द्वारा अवगत कराया गया है कि कारागारों का निरीक्षण/भ्रमण के दौरान पाया गया कि शासन द्वारा चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित न कराये जा पाने के कारण अधिकतर कारागारों में बन्दियों की समुचित चिकित्सा व्यवस्था नहीं हो पा रही है, बन्दियों का इलाज एवं रिफर किये जाने में काफी दिक्कतें हो रही है, कहीं-कहीं कारागारों में सप्ताह में केवल एक बार ही चिकित्सक उपलब्ध कराये जा रहे है, यह एक गम्भीर विषय है, इसके साथ कारागारों पर बन्दियों के इलाज में आ रही चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिये फिक्स वेतन पर सेवानिवृत्त चिकित्सकों से कार्य लिये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से किये जाने हेतु इस कार्यालय के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–2468/अध–2(5)58/भाग–2/टीसी/09/14,दिनांक 25.01.2016 द्वारा प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ से अनुरोध किया गया है। उक्त अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 25.01.2016 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

12/2/16

(आर0पी0 सिंह)
उप महानिरीक्षक(मु0)
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश।

12-2-16

10-3-16